

सू मोटो प्रकटीकरण

धारा 4 के तहत आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण के विवरण	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले/आंशिक रूप से मिले/नहीं मिले- लागू नहीं को पूरी तरह से/आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
1.1	संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)] (i) संगठन का नाम और पता	(i) संगठन का नाम और पता - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम- विकास संस्थान, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, प्लॉट नंबर 11-ए, आईडीसी, आईटीआई के पास, कुंजपुरा रोड करनाल (Br.MSME-DI भिवानी MSME-DI करनाल के प्रशासनिक नियंत्रण में है)	लागू नहीं
		(ii) संगठन के प्रमुख श्री संजीव चावला, निदेशक	लागू नहीं
		(iii) विजन और मिशन -विजन बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने और: \$ 5 ट्रिलियन तक पहुंचने और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख खिलाड़ी बनने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के लिए विकास इंजन बनने के प्रयास में भारत के एमएसएमई क्षेत्र की क्षमता को अनलॉक करना। -मिशन: औपचारिकता, ज्ञान सेवाओं तक पहुंच, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आयात को कम करने, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, नवीनतम प्रौद्योगिकी और विपणन तक पहुंच के प्रयासों में एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करता है।	लागू नहीं
		(iv) कार्य और कर्तव्य प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं हैं: 1. एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सलाह देना। 2. एमएसएमई को तकनीकी-आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना। 3. प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाएं प्रदान करना। 4. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से	लागू नहीं

		<p>मानव संसाधन का विकास करना।</p> <p>5. एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक वाहन के रूप में क्लस्टर विकास को सुगम बनाना।</p> <p>6. आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।</p> <p>7. एमएसएमई के विकास से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना।</p> <p>8. सीपीएसयू सहित बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और समन्वय करना।</p> <p>9. निर्यात टोकरी के हिस्से में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।</p> <p>10. क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाना।</p>	
		<p>(v) संगठन चार्ट</p> <ul style="list-style-type: none"> -निदेशक -संयुक्त निदेशक -उप निदेशक -सहायक निदेशक ग्रेड -I -सहायक निदेशक ग्रेड -II -अन्वेषक -प्रशासन/डीडीओ -कार्यालय अधीक्षक -यू.डी.सी. -आशुलिपिक -एल.डी.सी. -एम.टी.एस. 	लागू नहीं
		<p>(vi) कोई अन्य विवरण-समय-समय पर विभाग और विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों की उत्पत्ति, स्थापना, गठन से निपटा गया है।</p> <p>-डीसी (एमएसएमई), नई दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त प्रशिक्षकों के अनुसार।</p>	लागू नहीं
1.2	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य [धारा 4(1) (बी)(ii)]	<p>(i) अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)</p> <ul style="list-style-type: none"> -कार्यालय की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां निदेशक, एमएसएमई-डीआई, करनाल में निहित हैं 	लागू नहीं
		<p>(ii) अन्य कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य</p> <ul style="list-style-type: none"> -निदेशक के अनुदेशकों के अनुसार कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। 	लागू नहीं
		<p>(iii) नियम/आदेश जिसके तहत शक्तियाँ और कर्तव्य व्युत्पन्न होते हैं और</p> <ul style="list-style-type: none"> -इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य MSMED अधिनियम, 2006 से प्राप्त किए गए हैं। 	लागू नहीं

		(iv) व्यायाम किया - निदेशक और डीसीएमएसएमई कार्यालय, नई दिल्ली (मुख्यालय) के निर्देशों के अनुसार।	लागू नहीं
		(v) कार्य आवंटन -मुख्यालय द्वारा कार्य आवंटित किया जाता है और उसी को निदेशक द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाता है।	लागू नहीं
1.3	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]	(i) निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्णय लेने के प्रमुख बिंदुओं की पहचान करें -मुख्यालय कार्यालय के मार्गदर्शन में निदेशक द्वारा।	लागू नहीं
		(ii) अंतिम निर्णय लेने का अधिकार -निदेशक, एमएसएमई और मुख्यालय डीसी (एमएसएमई), नई दिल्ली कार्य की प्रकृति के अनुसार	लागू नहीं
		(iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। -एमएसएमईडी अधिनियम, 2006	लागू नहीं
		(iv) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो। -जल्द से जल्द और मुख्यालय द्वारा निर्धारित समय के अनुसार।	लागू नहीं
		(v) पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल - इस कार्यालय के संगठनात्मक चार्ट के अनुसार।	लागू नहीं
1.4	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)]	(i) पेश किए जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति - मौजूदा और भावी उद्यमियों को तकनीकी जानकारी प्रदान करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सामान्य सुविधाएं सेवाएं प्रदान करना और प्रदान करना अन्य प्रकार की उद्यमशीलता सहायता सेवाएँ।	लागू नहीं
		(ii) कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक -एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार	लागू नहीं
		(iii) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है क) इंटरनेट के माध्यम से (www.msmedikarnal.gov.in) ख) ईमेल और पोस्ट के माध्यम से ग) कार्यालय में भौतिक यात्रा के माध्यम से।	लागू नहीं
		(iv) लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा -निदेशक और मुख्यालय कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्य की प्रकृति और निर्धारित समय के अनुसार	लागू नहीं
		(v) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया क) आरटीआई एमआईएस पोर्टल और चैंपियन पोर्टल, ख) ईमेल और पोस्ट ग) ऑफ़लाइन (कार्यालय में भौतिक यात्रा के माध्यम से)	लागू नहीं

1.5	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका और अभिलेख	(i) रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति। - डीसीएमएसएमई कार्यालय के निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देशों का रखरखाव किया जाता है।	लागू नहीं
		(ii) नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची। -वेब लिंक https://msme.gov.in/Act-and-rules/rules-0 के माध्यम से पहुँचा जा सकता है	लागू नहीं
		(iii) अधिनियम/नियम नियमावली आदि। - एमएसएमईडी अधिनियम, 2006।	लागू नहीं
		(iv) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश -मुख्यालय कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है।	लागू नहीं
1.6	प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी) (vi)]	(i) दस्तावेजों की श्रेणियाँ -कार्यालय आदेशों की सूची, परिपत्र, अधिसूचनाएं, पत्र, रजिस्टर, संकल्प, बैठकों की कार्यवाही, ज्ञापन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज आदि। (उदाहरण: फाइलों का रजिस्टर, रजिस्ट्रों का रजिस्टर, कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर, लेखा संबंधी रजिस्टर, आरटीआई फाइल, प्रशिक्षण दस्तावेज)।	लागू नहीं
		(ii) दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक - निदेशक, सहायक निदेशक (प्रशासन) और आहरण और संवितरण अधिकारी	लागू नहीं
1.7	सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]	(i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम -लागू नहीं	लागू नहीं
		(ii) रचना -लागू नहीं	लागू नहीं
		(iii) तिथियाँ जिनसे गठन किया गया -लागू नहीं	लागू नहीं
		(iv) कार्यकाल / कार्यकाल -लागू नहीं	लागू नहीं
		(v) शक्तियाँ और कार्य -लागू नहीं	लागू नहीं
		(vi) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? -लागू नहीं	लागू नहीं
		(vii) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? -लागू नहीं	लागू नहीं
		(viii) वह स्थान जहाँ कार्यवृत्त यदि जनता के लिए खुला हो तो उपलब्ध है? -लागू नहीं	लागू नहीं
1.8	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की	(i) नाम और पदनाम A- MSME -DI करनाल	लागू नहीं

	<p>निर्देशिका [धारा 4(1) (बी) (ix)]</p>	<p>सर्वश्री/श्रीमती। 1. संजीव चावला आई.ई.डी.एस. निदेशक (संस्थान के प्रमुख) 2. सतपाल आई.ई.डी.एस. सहायक निदेशक(ग्रेड- I) 3. के.सी. मीना आई.ई.डी.एस. सहायक निदेशक (ग्रेड- I) 4. मुकेश कुमार वर्मा सहायक निदेशक (ग्रेड-II) 5. मीनू बाला धीमान सहायक निदेशक (ग्रेड-II) 6. रवि प्रकाश सहायक निदेशक (ग्रेड-II) 7. फूल सिंह कार्यालय अधीक्षक। 8. जय राम कार्यालय अधीक्षक। 9. सुदेश सलूजा आशुलिपिक (ग्रेड-I) 10. बलराज सिंह आशुलिपिक (ग्रेड-I) 11. सुभाष कुमार आशुलिपिक (ग्रेड- II) 12. जगवीर सिंह आशुलिपिक (ग्रेड- II) 13. पूनम सलूजा आशुलिपिक (ग्रेड-II) 14. राजीव कुमार प्रवर श्रेणी लिपिक 15. बाबू राम अपर डिवीजन क्लर्क 16. तनुज सिहाग अवर श्रेणी लिपिक 17. केतन अवर श्रेणी लिपिक 18. देवेन्द्र नाथ मल्टी-टास्किंग स्टाफ 19. सुभाष मल्टी-टास्किंग स्टाफ 20. शिव कुमार मल्टी-टास्किंग स्टाफ 21. नवीन कुमार मल्टी-टास्किंग स्टाफ 22. सोनू मल्टी-टास्किंग स्टाफ बी-शाखा एमएसएमई-डीआई भिवानी सर्वश्री/श्रीमती। 1 रचना त्रिपाठी सहायक निदेशक (ग्रेड-II) 2 हरपाल सिंह, अन्वेषक 3 पलविंदर सिंह आशुलिपिक (ग्रेड- II) 4 मुकेश कुमार प्रवर श्रेणी लिपिक 5 अमरजीत सिंह अवर श्रेणी लिपिक 6 राजेश्वर मल्टी टास्किंग स्टाफ 7 विक्रम मल्टी-टास्किंग स्टाफ</p>	
		<p>(ii) टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी 0184-2208100, 0184-2208113 टेलीफैक्स : 0184-2208114 ई-मेल : dcdi-karnal@dcmsme.gov.in</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>1.9</p>	<p>अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक मुआवजे की प्रणाली सहित [धारा 4(1) (बी) (एक्स)]</p>	<p>(i) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची। A-MSME DI करनाल क्र.सं. अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती) पदनाम मासिक परिलब्धियां 1 संजीव चावला निदेशक 1,75,802/- 2 सतपाल सहायक। निदेशक ग्रेड 1 1,23,576/- 3 के सी मीना सहायक। निदेशक ग्रेड 1 1,55,216/-</p>	<p>लागू नहीं</p>

		<p>4 एम के वर्मा सहायक। निदेशक ग्रेड II 1,03,298 5 मीनू बाला सहायक। निदेशक ग्रेड II 72,800/- 6 रवि प्रकाश सहायक। निदेशक ग्रेड II 79,638/- 7 सुदेश सलूजा आशुलिपिक (ग्रेड-I) 1,03,298/- 8 सुभाष कुमार आशुलिपिक (ग्रेड-II) 97,558/- 9 बलराज सिंह आशुलिपिक (ग्रेड-I) 97,558/- 10 पूनम सलूजा आशुलिपिक (ग्रेड-II) 89,438/- 11 जगबीर सिंह आशुलिपिक (ग्रेड-II) 89,438/- 12 फूल सिंह कार्यालय अधीक्षक। 82,018 13 जय राम कार्यालय अधीक्षक। 73,058/- 14 राजीव कुमार प्रवर श्रेणी लिपिक 58,918/- 15 बाबू राम प्रवर श्रेणी लिपिक 60,598/- 16 तनुज सिहाग अवर श्रेणी लिपिक 31,559/- 17 केतन अवर श्रेणी लिपिक 31,559 18 शिव कुमार मल्टी-टास्किंग स्टाफ 54,438/- 19 देवेन्द्र नाथ मल्टी-टास्किंग स्टाफ 49,958/- 20 सुभाष मल्टी-टास्किंग स्टाफ 51,358/- 21 सोनू मल्टी-टास्किंग स्टाफ 28,786/- 22 नवीन मल्टी-टास्किंग स्टाफ 28,786/-</p> <p>बी-शाखा एमएसएमई भिवानी क्र.सं. सरकारी पदनाम का नाम मासिक परिलब्धियां</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रचना त्रिपाठी सहायक। निदेशक ग्रेड II 86,918/- 2. हरपाल सिंह अन्वेषक 70,958/- 3. पलविंदर सिंह आशुलिपिक (ग्रेड-II) 94,758/- 4. मुकेश कुमार प्रवर श्रेणी लिपिक 58,918/- 5. अमरजीत सिंह लोअर डिवीजन क्लर्क 37,638/- 6. राजेश्वर मल्टी-टास्किंग स्टाफ 33,099/- 7. विक्रम मल्टी-टास्किंग स्टाफ 31,279/- 	
		(ii) इसके नियमों में प्रदान किए गए मुआवजे की प्रणाली -लागू नहीं	लागू नहीं
1.10	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1) (बी) (xvi)]	(i) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम -श्री के.सी. मीणा, सहायक निदेशक (सीपीआईओ) -श्री प्रदीप ओझा, संयुक्त निदेशक (अपीलीय प्राधिकारी)	
		(ii) नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी। -MSME-DI, करनाल 0184-2208100, 184-2208113 टेलीफैक्स: 0184-2208114 -ई-मेल: dcdi-karnal@dcmsme.gov.in	
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है (i) मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए	लागू नहीं

	कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))	लंबित -शून्य।	
		(ii) मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया -शून्य।	लागू नहीं
1.12	आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)	(i) शैक्षिक कार्यक्रम -शून्य।	लागू नहीं
		(ii) सार्वजनिक प्राधिकरण को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास -शून्य।	लागू नहीं
		(iii) सीपीआईओ/एफएए का प्रशिक्षण -अभी आयोजित किया जाना है	लागू नहीं
		(iv) संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना -कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है और कार्यालय में उपलब्ध है।	लागू नहीं
1.13	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	मुख्यालय कार्यालय द्वारा।	लागू नहीं

2. बजट और कार्यक्रम

क्र.सं	मद	प्रकटीकरण के विवरण	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले/आंशिक रूप से मिले/नहीं मिले- लागू नहीं को पूरी तरह से/आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
.			

2.1	आवंटित बजट को सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और सहित प्रत्येक एजेंसी पर रिपोर्ट किए गए संवितरण आदि [धारा 4(1)(बी)(xi)]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>वस्तु शीर्ष</th> <th>योजनाओं का नाम</th> <th>स्वीकृत निधि (रु.)</th> <th>13-01-2022 तक का व्यय</th> <th>शेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2851.00.102.98.02.01</td> <td>वेतन</td> <td>2,94,52,000</td> <td>2,41,08,076</td> <td>53,43,924</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2851.00.102.98.02.06</td> <td>त्रिकित्सा उपचार</td> <td>9,62,000</td> <td>6,66,542</td> <td>2,95,458</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2851.00.102.98.02.11</td> <td>घरेलू यात्रा</td> <td>4,44,000</td> <td>3,54,456</td> <td>89,544</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2851.00.102.98.02.13</td> <td>ओई</td> <td>24,77,000</td> <td>16,06,535</td> <td>8,70,465</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2851.00.102.98.02.13</td> <td>ओई सीनेट</td> <td>4,00,000</td> <td>83,612</td> <td>3,16,388</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2851.00.102.98.02.28</td> <td>पेशेवर सेवाएं</td> <td>36,000</td> <td>23,475</td> <td>12,525</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2851.00.102.98.96.13</td> <td>ओई (एसएपी)</td> <td>3,00,000</td> <td>2,76,421</td> <td>23,579</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2851.00.102.98.01.11</td> <td>डीटीई/ईएसडी पी योजना</td> <td>1,50,000</td> <td>0</td> <td>1,50,000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2851.00.102.98.01.20</td> <td>ओई-जनरल/ईएपी-जी-1/आईएमसी-वाई</td> <td>10,000</td> <td>8,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2851.00.102.99.01.11</td> <td>(डीटीई)/सीडीओ</td> <td>50,000</td> <td>46,658</td> <td>3,342</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2851.00.102.99.01.13</td> <td>सीडीओ/ओई</td> <td>50,000</td> <td>30,459</td> <td>19,541</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2851.00.102.99.01.20</td> <td>ओई/सीडीओ</td> <td>30,000</td> <td>2,321</td> <td>27,679</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>2851.00.102.99.01.13</td> <td>ओ.ई. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट</td> <td>1,32,660</td> <td>1,25,454</td> <td>7,206</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2851.00.102.99.01.27</td> <td>माइनर वर्क्स-हेड एअरएमओ सिविल</td> <td>2,15,400</td> <td>50,000</td> <td>1,65,400</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>2851.00.102.99.01.27</td> <td>माइनर वर्क्स-हेड एअरएमओ इलेक्ट्रिकल</td> <td>16,35,371</td> <td>8,00,000</td> <td>8,35,371</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>2851.00.102.99.01.27</td> <td>माइनर वर्क्स-सोलर पीवी</td> <td>57,654</td> <td>57,654</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	वस्तु शीर्ष	योजनाओं का नाम	स्वीकृत निधि (रु.)	13-01-2022 तक का व्यय	शेष	1	2851.00.102.98.02.01	वेतन	2,94,52,000	2,41,08,076	53,43,924	2	2851.00.102.98.02.06	त्रिकित्सा उपचार	9,62,000	6,66,542	2,95,458	3	2851.00.102.98.02.11	घरेलू यात्रा	4,44,000	3,54,456	89,544	4	2851.00.102.98.02.13	ओई	24,77,000	16,06,535	8,70,465	5	2851.00.102.98.02.13	ओई सीनेट	4,00,000	83,612	3,16,388	6	2851.00.102.98.02.28	पेशेवर सेवाएं	36,000	23,475	12,525	7	2851.00.102.98.96.13	ओई (एसएपी)	3,00,000	2,76,421	23,579	8	2851.00.102.98.01.11	डीटीई/ईएसडी पी योजना	1,50,000	0	1,50,000	9	2851.00.102.98.01.20	ओई-जनरल/ईएपी-जी-1/आईएमसी-वाई	10,000	8,000	2,000	10	2851.00.102.99.01.11	(डीटीई)/सीडीओ	50,000	46,658	3,342	11	2851.00.102.99.01.13	सीडीओ/ओई	50,000	30,459	19,541	12	2851.00.102.99.01.20	ओई/सीडीओ	30,000	2,321	27,679	13	2851.00.102.99.01.13	ओ.ई. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट	1,32,660	1,25,454	7,206	14	2851.00.102.99.01.27	माइनर वर्क्स-हेड एअरएमओ सिविल	2,15,400	50,000	1,65,400	15	2851.00.102.99.01.27	माइनर वर्क्स-हेड एअरएमओ इलेक्ट्रिकल	16,35,371	8,00,000	8,35,371	16	2851.00.102.99.01.27	माइनर वर्क्स-सोलर पीवी	57,654	57,654	0	एमएसएमई-डीआई, करनाल और बीआर शाखा MSME-DI, भिवानी में बजट और व्यय विवरण। दिनांक 13.01.2022 को
क्र. सं.	वस्तु शीर्ष	योजनाओं का नाम	स्वीकृत निधि (रु.)	13-01-2022 तक का व्यय	शेष																																																																																																				
1	2851.00.102.98.02.01	वेतन	2,94,52,000	2,41,08,076	53,43,924																																																																																																				
2	2851.00.102.98.02.06	त्रिकित्सा उपचार	9,62,000	6,66,542	2,95,458																																																																																																				
3	2851.00.102.98.02.11	घरेलू यात्रा	4,44,000	3,54,456	89,544																																																																																																				
4	2851.00.102.98.02.13	ओई	24,77,000	16,06,535	8,70,465																																																																																																				
5	2851.00.102.98.02.13	ओई सीनेट	4,00,000	83,612	3,16,388																																																																																																				
6	2851.00.102.98.02.28	पेशेवर सेवाएं	36,000	23,475	12,525																																																																																																				
7	2851.00.102.98.96.13	ओई (एसएपी)	3,00,000	2,76,421	23,579																																																																																																				
8	2851.00.102.98.01.11	डीटीई/ईएसडी पी योजना	1,50,000	0	1,50,000																																																																																																				
9	2851.00.102.98.01.20	ओई-जनरल/ईएपी-जी-1/आईएमसी-वाई	10,000	8,000	2,000																																																																																																				
10	2851.00.102.99.01.11	(डीटीई)/सीडीओ	50,000	46,658	3,342																																																																																																				
11	2851.00.102.99.01.13	सीडीओ/ओई	50,000	30,459	19,541																																																																																																				
12	2851.00.102.99.01.20	ओई/सीडीओ	30,000	2,321	27,679																																																																																																				
13	2851.00.102.99.01.13	ओ.ई. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट	1,32,660	1,25,454	7,206																																																																																																				
14	2851.00.102.99.01.27	माइनर वर्क्स-हेड एअरएमओ सिविल	2,15,400	50,000	1,65,400																																																																																																				
15	2851.00.102.99.01.27	माइनर वर्क्स-हेड एअरएमओ इलेक्ट्रिकल	16,35,371	8,00,000	8,35,371																																																																																																				
16	2851.00.102.99.01.27	माइनर वर्क्स-सोलर पीवी	57,654	57,654	0																																																																																																				
2.2	विदेशी और घरेलू दौरे (F.No. 1/8/2012-IR dt. 11.9.2012)	(i) बजट -लागू नहीं	लागू नहीं																																																																																																						
		(ii) मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग प्रमुखों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे। --लागू नहीं																																																																																																							
2.3	सब्सिडी के निष्पादन का तरीका कार्यक्रम [धारा 4(i)(बी)(xii)]	(i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम कृपया http://dcmsme.gov.in और www.msmedikarnal.gov.in पर देखें	लागू नहीं																																																																																																						

		ii) कार्यक्रम का उद्देश्य -कृपया http://dcmsme.gov.in पर देखें	लागू नहीं
		(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया -कृपया http://dcmsme.gov.in पर देखें	लागू नहीं
		(iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि - कृपया http://dcmsme.gov.in पर देखें	लागू नहीं
		(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य कृपया http://dcmsme.gov.in और http://www.msmedikarnal.gov.in/ पर देखें।	लागू नहीं
		(vi) सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड -कृपया http://dcmsme.gov.in पर देखें	लागू नहीं
2.4	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [एफ। न 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	(i) विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को आवंटन -शून्य	लागू नहीं
		(ii) सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है -शून्य	लागू नहीं
2.5	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने वाले का विवरण [धारा 4(1) (बी) (xiii)]	(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण -लागू नहीं।	लागू नहीं
		(ii) दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए -लागू नहीं।	लागू नहीं
2.6	सीएजी और पीएसी पैरा [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	CAG और PAC पैरा और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ARTs) को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया है। -लागू नहीं।	लागू नहीं

3. पब्लिसिटी बैंड पब्लिक इंटरफेस

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण के विवरण	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले/आंशिक रूप से मिले/नहीं मिले- लागू नहीं को पूरी तरह से/आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
3.1	नीति या के निर्माण के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए विवरण या कार्यान्वयन [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (i) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा देखे जाते हैं - www.dcmsme.gov.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है	लागू नहीं
		(ii) परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य - मामले दर मामले के आधार पर ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय - सभी कार्य दिवस और काम के घंटे ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशनों को प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) के संपर्क विवरण -सीपीआईओ द्वारा, श्री के.सी.मीणा, आरटीआई के निर्धारित समय के अनुसार ।	लागू नहीं
3.2	क्या नीतियों/निर्णयों का विवरण, जो जनता को प्रभावित करता है, उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]	प्रक्रिया को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिए जनता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण नीतियों या निर्णयों की घोषणा करते समय सभी	लागू नहीं

		प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें; (i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/विधान -मुख्यालय कार्यालय में उपलब्ध है	
		(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें -मुख्यालय कार्यालय में उपलब्ध है	लागू नहीं
		(iii) नीति निर्माण से पूर्व परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कीजिए -मुख्यालय कार्यालय में उपलब्ध है	लागू नहीं
3.3	सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]	संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग (i) इंटरनेट (वेबसाइट) -www.dcmsme.gov.in और www.msmedikarnal.gov.in पर उपलब्ध है - ईमेल	लागू नहीं
3.4	सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रपत्र [धारा 4(1)(बी)]	सूचना मैनुअल/हैंडबुक में उपलब्ध है (i) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप - www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है	लागू नहीं
		(ii) मुद्रित प्रारूप - इस कार्यालय द्वारा अनुरक्षित।	लागू नहीं
3.5	सूचना पुस्तिका/पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]	उपलब्ध सामग्री की सूची (i) www.dcmsme.gov.in और www.msmedikarnal.gov.in पर ऑनलाइन पहुंच निःशुल्क है।	लागू नहीं

4. ई.गवर्नेंस

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण के विवरण	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से मिले/आंशिक रूप से मिले/नहीं मिले- लागू

			नहीं को पूरी तरह से/आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
4.1	भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर डीटी। 15.4.2013]	(i) अंग्रेजी -हाँ।	लागू नहीं
		(ii) वर्नाक्यूलर / स्थानीय भाषा -हाँ	लागू नहीं
4.2	सूचना नियमावली/पुस्तिका को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था? [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	सू मोटो सूचना अद्यतन की तिथि -19.01.2022	लागू नहीं
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना [धारा 4(1)(बी)(xiv)]	(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण -योजनाएं, वार्षिक रिपोर्ट, जिला प्रोफाइल, संपर्क विवरण आदि।	लागू नहीं
		(ii) दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक -अद्यतन सू मोटो जानकारी	लागू नहीं
		(iii) स्थान जहां उपलब्ध हो - www.dcsmse.gov.in और www.msmedikarnal.gov.in	लागू नहीं
4.4	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)]	(i) संकाय का नाम और स्थान -प्रवेश द्वार पर एमएसएमई-करनाल में सूचना काउंटर/सुविधा केंद्र।	लागू नहीं
		(ii) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण -कार्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी पर उपलब्ध हैं www.dcsmse.gov.in और www.msmedikarnal.gov.in और कार्यालय में	लागू नहीं
		(iii) सुविधा के काम के घंटे - सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक	लागू नहीं
		(iv) संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल) - श्री के.सी. मीणा, सहायक निदेशक, एमएसएमई-डीआई,	लागू नहीं

		करनाल 0184-2208100, 184-2208113 टेलीफैक्स : 0184-2208114	
4.5	धारा 4(i) (बी)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकने वाली ऐसा अन्य जानकारी	(i) शिकायत निवारण तंत्र - आरटीआई एमआईएस पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल, ईमेल और डाक के माध्यम से।	लागू नहीं
		(ii) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदन और प्रदान की गई जानकारी (2021-22 अद्यतन के दौरान) - 11	लागू नहीं
		(iii) पूर्ण की गई योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची - www.msmedikarnal.gov.in पर उपलब्ध है	लागू नहीं
		(iv) चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची www.msmedikarnal.gov.in पर उपलब्ध है	लागू नहीं
		(v) किए गए सभी अनुबंधों का विवरण जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि शामिल है - मैसर्स बारक्राट गुड्स एंड सर्विसेज, अंबाला कैंट। (GeM ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए आउटसोर्स व्यक्ति) अवधि - अक्टूबर 2021 से मार्च, 2022, राशि - एमटीएस - 348137.59 रुपये स्वीपर- 116045.87 रुपये, ड्राइवर- 133237.85 रुपये	लागू नहीं
		(vi) वार्षिक रिपोर्ट ☐ http://www.msmedikarnal.gov.in/APR20202021.pdf	लागू नहीं
4.6	आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [F.No 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013]	(i) आवेदन प्राप्त हुए और निपटाए गए - 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान 11 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का निस्तारण किया।	लागू नहीं
		(ii) प्राप्त अपीलें और जारी किए गए आदेश निस्तारित। शून्य	लागू नहीं
4.7	संसद में पूछे गए सवालों के जवाब [धारा 4(1)(डी)(2)]	पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण - सभी उत्तर दिए गए हैं।	लागू नहीं

5. सूचना जो निर्धारित की जा सकती है

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण के विवरण	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (पूरी तरह से)
---------	----	--------------------	------------------------------------

			मिले/आंशिक रूप से मिले/नहीं मिले- लागू नहीं को पूरी तरह से/आंशिक रूप से मिले के रूप में माना जाएगा)
5.1	ऐसा अन्य जानकारी के रूप में निर्धारित किया जा सकता है [F.No. 1/2/2016-आईआर डीटी। 17.8.2016, एफ नं। 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	(i) सीपीआईओ, एफएए और टीओ का नाम और विवरण -(ए) सीपीआईओ-श्री केसी मीणा, सहायक निदेशक (बी) एफएए- श्री प्रदीप ओझा, संयुक्त निदेशक (सी) पारदर्शिता अधिकारी-श्री। सतपाल, सहायक निदेशक	लागू नहीं
		ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण (ए) किए गए लेखापरीक्षा की तिथियां (बी) किए गए लेखापरीक्षा की रिपोर्ट - लागू नहीं	लागू नहीं
		(iii) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जो संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से कम न हो (ए) नियुक्ति की तिथि -06.07.2021 (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम - श्री संजीव चावला, निदेशक।	लागू नहीं
		(iv) स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्शदात्री समिति (ए) तिथियां जिनसे गठन किया गया (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम -लागू नहीं।	लागू नहीं
		(v) आरटीआई के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले	लागू नहीं

		पीआईओ/एफएए की समिति (ए) तिथियां जिनसे गठन किया गया (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम - लागू नहीं।	
--	--	--	--